बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन निदेशालय)

"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" अन्तर्गत निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत् अनुदान की योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि हेतु लक्ष्य के विरूद्ध रिक्त रह गए बकरी फार्म हेतु पुनः विज्ञापन

- **योजना–** निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत् अनुदान की योजना ।
- **कार्य क्षेत्र–** योजना का कार्यान्वयन राज्य के 33 जिलों में।
- **आवेदन–** विज्ञापन प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर ऑनलाईन/मैनुअल आवेदन किया जा सकता है।
  इच्छुक किसान/उद्यमी/बकरी पालक इस योजना हेतु विभागीय वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या/वोटर आई0 डी0 कार्ड संख्या से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन अपलोड करना होगा। ऑफलाईन या मैनुअल आवेदन विहित प्रपत्र में सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ संबंधित जिला पशुपालन कार्यालयों को समर्पित किया जाएगा। मैनुअल आवेदन पत्र जमा करने के साथ ही उसे जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बेवसाईट पर अपलोड किया जाएगा एवं प्राप्ति रसीद आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी।

- **चयन–** वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत योजना एवं तत्क्रम में निर्गत कायान्वयन अनुदेश के आलोक में लाभुकों को चयन किया जाएगा। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभुकों का चयन जिला स्तर की समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त निदेशालय स्तर के समिति द्वारा किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में पूर्व के आवेदकों को उनके आवेदन में कतिपय सुधार का मौका दिया गया है, अतः उन्हें अलग से आवेदन न देकर पूर्व के आवेदन में त्रुटी सुधार के क्रम में वांछित कागजात संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है। पूर्व आवेदकों के चयन के फलस्वरूप रिक्तियों की संख्या प्रभावित हो सकती है।
- **प्राथमिकताएँ–** लाभुक के चयन में स्वलागत से बकरी फार्म स्थापित करने पर प्राथमिकता दी जाएगी। लाभुक के चयन में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से बकरी पालन में प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु बकरी पालन में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बकरी पालन से संबंधित अन्य कोई प्रमाण पत्र एवं अनुभव संबंधी साक्ष्य जमा करना होगा।
- **ऋण/ स्वलागत–** आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से बकरी फार्म स्थापित कर सकते है। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी।

क्र0	जिला का नाम	कोटिवार चयनित किये जाने वाले लाभुकों की संख्या				क्र0	जिला का नाम	कोटिवार चयनित किये जाने वाले लाभुकों की संख्या				क्र0	जिला का नाम	कोटिवार चयनित किये जाने वाले लाभुकों की संख्या			
		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल रिक्ति			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल रिक्ति			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल रिक्ति
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	अरवल	2	1	-	3	13	गया	-	3	1	4	25	लखीसराय	-	2	1	3
2	किशनगंज	5	2	5	12	14	प0 चम्पारण	-	10	4	14	26	शिवहर	-	1	-	1
3	गोपालगंज	2	4	1	7	15	नवादा	-	9	-	9	27	समस्तीपुर	-	9	1	10
4	दरभंगा	2	13	-	15	16	नालन्दा	-	4	-	4	28	सीवान	-	3	-	3
5	पटना	1	-	1	2	17	पूर्वी चम्पारण	-	7	1	8	29	सीतामढ़ी	-	3	-	3
6	बक्सर	1	-	1	2	18	पूर्णियाँ	-	7	12	19	30	सुपौल	-	3	1	4
7	बाँका	2	4	8	14	19	भागलपुर	-	3	6	9	31	जमुई	-	-	4	4
8	मधेपुरा	4	6	1	11	20	भोजपुर	-	9	-	9	32	रोहतास	-	-	2	2
9	शेखपुरा	4	3	-	7	21	खगड़िया	-	5	-	5	33	औरंगाबाद	-	3	-	3
10	सारण	2	10	1	13	22	मधुबनी	-	11	-	11	कुल :–		25	153	71	249
11	अररिया	-	6	3	9	23	मुंगेर	-	2	2	4						
12	कटिहार	-	4	14	18	24	मुजफ्फरपुर	-	6	1	7						

विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश विभाग के वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक, पशुपालन, बिहार।